न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2023/300
मुकदमा नम्बर 108/2023 दावा दर्ज दिनांक–31.07.2023

1. संजय कुमार पुत्र गिरधारी उर्फ रामकुमार
2. रूकमणी देवी पत्नी गिरधारी उर्फ रामकुमार समस्त जाति मेघवंशी निवासी देवगांव नूआं, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
3. शारदा देवी पत्नी प्रहलाद पुत्री गिरधारी उर्फ रामकुमार जाति मेघवंशी निवासी ग्राम वार्ड नं. 05,14 एस एल डी, रेबारी तहसील घडसाना जिला गंगानगर
4. सुमन देवी पत्नी मनीराम पुत्री गिरधारी उर्फ रामकुमार जाति मेघवंशी निवासी ग्राम चुडी मियां तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर
5. किशनलाल उर्फ किशन सिंह पुत्र झाबर राम जाति मेघवंशी निवासी देवगांव नूआं तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
6. चन्दगीराम पुत्र झाबर मल जाति मेघवंशी निवासी देवगांव नूआ तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
7. मटरूलाल उर्फ मोहर सिंह पुत्र झाबर राम जाति मेघवंशी निवासी देवगांव नूआं तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती

वकील वादी : – श्री बाबुलाल वर्मा, श्री मुकेश पारीक
वकील प्रतिवादी :– पैरो.राज.

:: निर्णय :: **निर्णय दिनांक 01.05.2025**

वादी वादी इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम देवगांव नूआ पटवार हल्का देवगांव नूआ भूमि खसरा नं. 40 रकबा 1.15 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादी नं. 1 लगा. 4 के पिता/पति गिरधारी पुत्र कालू के स्थान पर प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये संजय कुमार पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/12, रूकमणी देवी पत्नी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

रामकुमार हिस्सा 1/12, शारदा देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/12 व सुमन देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/12 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती की जावे।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 40 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम देवगांव नूआं पटवार हल्का देवगांव नूआ तहसील नवलगढ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी नम्बर 5 का नाम किशनलाल पुत्र झाबर के स्थान पर किशन सिंह पुत्र झाबर राम हिस्सा 1/15 दर्ज किया जावे, वादी नं. 6 का नाम चन्दगीराम पुत्र झाबर के स्थान पर चन्दगीराम पुत्र झाबर मल हिस्सा 1/15 दर्ज किया जावे तथा वादी नं. 7 का नाम मटरूलाल पुत्र झाबर के स्थान पर मोहर सिंह पुत्र झाबर राम हिस्सा 1/15 दर्ज किया जावे।

वाद वादी पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी की जारी की गई। प्रतिवादी तहसीलदार नवलगढ कि और से पैरो. राज. उपस्थित हो एक रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/7257 दिनांक 25.04.2025 इस कदर पेश की गई की नाम पूर्णत परिवर्तित हो रहे है, वैसे भी साबित करने का भार वादी पक्ष पर है। वकील वादी ने शहादत वादी पेश नही की तथा सीधे ही बहस का निवेदन किया।

बहस उभय पक्ष पेश होने पर बगौर सुनी गई। वादी ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा वाद के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का हवाला देते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरो. राज. द्वारा कोई उजर/एतराज व्यक्त नही किया।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

वाद वादी में वाद के साथ वादी का स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत है, दस्तावेजों मे विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र रामकुमार, ग्राम पंचायत देवगांव का प्रमाण पत्र बाबत् रामकुमार व गिरधारी दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है,पहचान सम्बन्धित अन्य दस्तावेजात मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादी की प्रति पेश किये है। जिनसे वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है । ग्राम देवगांव नूआ पटवार हल्का देवगांव नूआ भूमि खसरा नं. 40 रकबा 1.15 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादी नं. 1 लगा. 4 के पिता/पति गिरधारी पुत्र कालू के स्थान पर प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, संजय कुमार पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/12, रूकमणी देवी पत्नी रामकुमार हिस्सा 1/12, शारदा देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/12 व सुमन देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/12 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ (झुन्झुनू)

जावे। वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 40 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम देवगांव नूआं पटवार हल्का देवगांव नूआ तहसील नवलगढ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी नम्बर 5 का नाम किशनलाल पुत्र झाबर के स्थान पर किशन सिंह पुत्र झाबर राम हिस्सा 1/15 दर्ज किया जावे, वादी नं. 6 का नाम चन्दगीराम पुत्र झाबर के स्थान पर चन्दगीराम पुत्र झाबर राम हिस्सा 1/15 दर्ज किया जावे तथा वादी नं. 7 का नाम मटरूलाल पुत्र झाबर के स्थान पर मोहर सिंह पुत्र झाबर राम हिस्सा 1/15 दर्ज किया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती व अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है की मुताबिक आदेश पालना सुनिश्चित करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झनू)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीसीएमएस नं. 2023/300
मुकदमा नम्बर 108/2023 दावा दर्ज दिनांक–31.07.2023

(संजय कुमार पुत्र गिरधारी उर्फ रामकुमार वगै0 **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू)

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती

(डिक्री)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है । ग्राम देवगांव नूआ पटवार हल्का देवगांव नूआ भूमि खसरा नं. 40 रकबा 1.15 है0 के राजस्व रिकार्ड में वादी नं. 1 लगा. 4 के पिता/पति गिरधारी पुत्र कालू के स्थान पर प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, संजय कुमार पुत्र रामकुमार हिस्सा 1/12, रूकमणी देवी पत्नी रामकुमार हिस्सा 1/12, शारदा देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/12 व सुमन देवी पुत्री रामकुमार हिस्सा 1/12 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद कर दिया जावे। वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 40 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम देवगांव नूआं पटवार हल्का देवगांव नूआ तहसील नवलगढ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी नम्बर 5 का नाम किशनलाल पुत्र झाबर के स्थान पर किशन सिंह पुत्र झाबर राम हिस्सा 1/15 दर्ज किया जावे, वादी नं. 6 का नाम चन्दगीराम पुत्र झाबर के स्थान पर चन्दगीराम पुत्र झाबर राम हिस्सा 1/15 दर्ज किया जावे तथा वादी नं. 7 का नाम मटरूलाल पुत्र झाबर के स्थान पर मोहर सिंह पुत्र झाबर राम हिस्सा 1/15 दर्ज किया जावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती व अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है की मुताबिक आदेश पालना सुनिश्चित करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन..........–.............. मुबलिग..........–...........बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 13 माह 02 सन 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू))

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	0.00	मुतफरिक मिजान	0.00